



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2004/भाद्र 12, 1926

No. 25]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2004/BHADRA 12, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2004

सं. के-11019/4/2004-डीडी VI.—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खण्ड (च) के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित सहयोगी राज्य की सहमति से तथा बोर्ड के परामर्श से एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की अनुसूची की मद 4 में उल्लिखित क्षेत्रों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

4. राजस्थान के संबंध में अनुसूची की मद 4 पर मौजूदा प्रविष्टियों को बदलकर इस प्रकार पढ़ा जाए :—

“पूरा अलवर जिला जिसमें बहरोर, मंडावर, किशनगढ़, तिजारा, अलवर, रामगढ़, बन्सूर, थानागाजी, राजागढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमार तहसीलें शामिल हैं।”

जे. एस. दुआ, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2004

No. K-11019/4/2004-DD. VI.—In exercise of the powers conferred by proviso to Clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in pursuance of consent of concerned participating State and in consultation with the Board, the Central Government hereby makes the following amendment relating to description of the areas specified in Item 4 of the Schedule to the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) :—

4. The existing entries at Item 4 of the Schedule relating to Rajasthan will be substituted and read as follows :—

“The whole of the Alwar District comprising of Tehsils of Behror, Mandawar, Kishangarh, Tijara, Alwar, Ramagarh, Bansur, Thanagazi, Rajagarh, Laxmangarh and Kathumar.”

J. S. DUA, Under Secy.